

27/5/2011
18/10/24

श्रीमालाल vs सरकार
पत्रावली पेश हुई। वादी की दावा
साक्ष्यवादी उपरोक्त नली उपस्थित
दिया जाता है प्रकरण साक्ष्यवादी
दिनांक 18/11/24 को पेश की

18/11/24 पत्रावली पेश हुई। वादी की दावा
प्रकरण साक्ष्यवादी उपरोक्त नली उपस्थित
को पेश की
दिनांक 13/11/24

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीटासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्ष्य आदेश
दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

आज्ञासेरीडर

23/12/24 पत्रावली पेश हुई। वादी की दावा
पत्रावली वादी की साक्ष्यवादी
दिनांक 20/1/25 को पेश की।
23/12/24

20/1/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधी.
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधीवक्ता
को निवृत्तानुसार तीन बजे आवाज
लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं
आया। न्यायाधीन में वादी एवं वादी
आधीवक्ता को पुनः एक बार आवाज
लगाई गई। वादी एवं वादी आधीवक्ता
के उपस्थित नहीं आने के कारण वादी
द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89
वादात्मक कार्रवाई आदिनिष्पत्ति को
अदम्य हावरी। अदम्य नली में साक्ष्य
किया जाता है। निर्णय करे इतनात पुनः
वादी की पत्रावली पेश की।
पत्रावली फॉर्मल शुमार
होकर वादी ल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम
हो।

अज्ञासेरीडर
अभिवादन

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शोभालाल पुत्र मांगीलाल चेचानी निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पुत्र बाबूलाल चेचानी जाति महाजन निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 275/2011 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 20.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी /अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।



(अरुण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा